



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1702/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3

दिनांक: 28.09.2021

## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं० 1199/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 25.09.2017 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन के ज्ञाप सं० 1649/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3 दिनांक 28.11.2017 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य सातवें वेतनमान में पिटकुल में कार्यरत समस्त पूर्ण कालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश सं० 219/XXVII(7)02/2016 दिनांक 24.09.2021 की अनुरूपता में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुर्ननिर्धारण करते हुए निम्नानुसार संशोधित दर पर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2021	मूल वेतन का 28 (अठ्ठाइस) प्रतिशत

- इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम-9 (2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात् किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन को मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30, जून 2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17 (सतरह) प्रतिशत ही रहेगी।
- पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01.07.2021 से 31.08.2021 तक के अवशेष (एरियर) मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01.09.2021 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।
- स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को गणनाक्रम में निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।
- कर्मचारी भविष्य निधि (ई०पी०एफ०) से आच्छादित कर्मियों को मंहगाई भत्ते के एरियर की धनराशि 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि अविधान के रूप में कटौती करने के पश्चात् शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
- इस आदेशानुसार स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु महाप्रबन्धक (वित्त) कारपोरेट मुख्यालय, पिटकुल, देहरादून को अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1702/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- निजी सहायक/डी०ई०ओ०-निदेशक (परिचालन)/परियोजना/मा०सं०/वित्त, पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II)/महाप्रबन्धक पिटकुल.....।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
- अधिसासी अभियन्ता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
- समस्त अधिसासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी पिटकुल.....।
- कट फाइल।

(अशोक कुमार जुंयाल)  
उपमहाप्रबन्धक (औ०सं०)